छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-10

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024

(माघ 27, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री गुरु खुशवंत साहेब अनुपस्थित रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रिकेश सेन के स्थान पर सदस्य श्री अनुज शर्मा, अधिकृत रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 70 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.पृच्छा

माननीय सदस्य सर्वश्री इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री ब्यास कश्यप, पुरन्दर मिश्रा, भोलाराम साहू, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री जनक ध्रुव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री बालेश्वर साहू सदस्यों द्वारा शून्यकाल में विविध विषयों के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि दिनांक 17 एवं 18 फरवरी, 2024 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन है। उक्त अधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु माननीय सदस्यगण दिल्ली जाने वाले हैं। चूंकि 19 फरवरी, 2024 को विधान सभा सत्र है। अतः आपसे आग्रह है कि 19 फरवरी, 2024 को सदन स्थगित करके अगले सप्ताह 20 फरवरी, 2024 को सत्र की कार्यवाही प्रारंभ हो तो उचित होगा। इससे दिल्ली जाने वाले माननीय सदस्यों को सुविधा होगी। 17 एवं 18 फरवरी को शनिवार, रविवार का अवकाश है। आप 19 फरवरी, 2024 तक सत्रावकाश बढ़ा दीजिए और 20 फरवरी, 2024 से अगली बैठक आहूत करने का आग्रह किया।

इस संबंध में सर्वश्री भूपेश बघेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये।

3.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - दिनांक 19.02.2024 की बैठक नहीं रखे जाने के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव दिया गया है । मैं समझता हूं कि आप सभी इससे सहमत हैं और 19 तारीख को बैठक नहीं होगी।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती गोमती साय

(2) श्रीमती चातुरी नंद

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने मनियारी एवं पथरिया बैराज परियोजना का निर्माण कार्य बंद किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री, का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य ने मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ओवर लोड ट्रकों में बिना कैप कव्हर किये कोयले की ढुलाई किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6.अध्यक्षीय निर्देश

माननीय अध्यक्ष ने "मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ओवर लोड ट्रकों में बिना कैप कव्हर किये कोयले की ढुलाई" किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री को ओवर लोड वाहनों के परिवहन पर शासन द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

7. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री ने पुलिस से संबंधित **मांग संख्या-3**, गृह विभाग से संबधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-4**, जेल से संबंधित **मांग संख्या-5**, पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग **संख्या-30**, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित **मांग संख्या-80**, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित **मांग संख्या-46**, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित **मांग संख्या-47**, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-3 पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-4** पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, **मांग संख्या-5** निरंक, **मांग संख्या-30** पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, दिलीप लहरिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमति सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती चातुरी नंद, **मांग संख्या-80** पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-46** निरंक, **मांग संख्या-47** पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, दिलीप लहरिया, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री कवासी लखमा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, दलेश्वर साहू, पुन्नूलाल मोहले

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

8.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियमानुसार शुक्रवार को अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है। अत: मैं श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों के अनुदान मांगों पर शेष चर्चा अगले कार्यदिवस मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 को रखूंगा। अब मैं अशासकीय कार्य लूंगा।

9.अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाये"।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अनुज शर्मा, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री गजेन्द्र यादव, सुशांत शुक्ला

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

माननीय सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह ने पुन: स्थिति स्पष्ट करते हुए माननीय मंत्री से संकल्प को स्वीकृत करने का आग्रह किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने कथन किया कि वे माननीय सदस्य के प्रस्ताव से असहमत नहीं है, परंतु इसको संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की बजाय इसमें संशोधन करके सनातन, धर्म आध्यात्म, वेद, धर्म दर्शन, तुलनात्मक अध्ययन इन सबको शामिल करते हुए इसका नाम इस प्रकार से संस्कृत विश्वविद्यालय रखकर इसे बहु-विषय के आधार पर बनायेंगे। यदि माननीय सदस्य मेरी इस भावना से सहमत हैं तो वे अपनी सहमति व्यक्त कर दें।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने अपनी सहमति व्यक्त की।

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री ने कथन किया कि इसमें अंतिम शब्द संस्कृत का जोड़ते हुए शासन इस पर निर्णय करेगा। इसलिए इस संकल्प को स्वीकार करते हुए शासन को यह अधिकार होगा कि वह उसमें तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं अन्य विषयों के साथ में इसके नाम को जोड़ सके। शासन को आप यह अधिकार दे दीजिए।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया कि दूसरा अशासकीय संकल्प अगले शुक्रवार को ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सदन में माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं।

10.अशासकीय संकल्प क्रमांक-2 को आगामी कार्यदिवस में लिया जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मेरे पास माननीय श्री राम विचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री का पत्र आया है। इस पत्र में उन्होंने अपने मुख्यालय से बाहर जाने के विषय में सूचित किया है। अतः श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के अशासकीय संकल्प क्रमांक-2 को आगामी कार्यदिवस में लिया जाएगा।

अपराह्न 3.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही, मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-1, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा